रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1975/भाद्र 24, 1897
No. 368] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1975/BHADRA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 1975

S.O. 516(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

THE ADAPTATION OF SIKKIM LAWS (No. 1) AMENDMENT ORDER, 1975

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 371F of the Constitution, the President hereby makes the following Order to amend the Adaptation of Sikkim Laws (No. 1) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Adaptation of Sikkim Laws (No. 1) Amendment Order, 1975.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of April, 1975.

2. In the Adaptation of Sikkim Laws (No. 1) Order, 1975, paragraph 5 shall be re-numbered as sub-paragraph (1) of that paragraph and after the sub-paragraph as so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding the direction in the Second Schedule for the omission of section 11 of the High Court of Judicature (Jurisdiction and Powers) Proclamation of 1955, every memorial petition for the review of any case

under that section pending immediately before the commencement of this Order shall, on such commencement, stand transferred to the High Court and the High Court shall dispose of such petition as if such petition were an application for review made to it.".

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. F.19(6)/75-L.I.]
K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 516 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

सिक्किम विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) (संशोधन) आदेश, 1975

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) आदेश, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम सिक्किम विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) ये 1975 की अप्रैल के छब्बीसवें दिन प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. सिक्किम विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) आदेश, 1975 का पैरा 5 उस पैरा के उप पैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप पैरा के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) द्वितीय अनुसूची में, उच्च न्यायालय (अधिकारिता और शक्तियां) उद्घोषणा, 1955 की धारा 11 का लोप किए जाने के लिए निदेश के होते हुए भी, उस धारा के अधीन किसी मामले के पुनर्विलोकन के लिए, इस आदेश के आरम्भ के ठीक पूर्व लम्बित प्रत्येक अभ्यावेदन याचिका, ऐसे आरम्भ पर, उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जाएगी और उच्च न्यायालय ऐसी याचिका को उसी प्रकार से निष्पादित करेगी मानो कि ऐसी याचिका उसके समक्ष पुनर्विलोकन के लिए किया गया आवेदन था।"।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 19 (6)/75-वि० I)]
के० के० सुन्दरम्, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975